न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, अनूपगढ जिला श्रीगंगानगर(राज.)

पीठासीन अधिकारीः अशोक सांगवा आर.ए.एस.

प्रकरण संख्याः–03/2025

सरकार जरिये धर्मपाल प्रवर्तन निरीक्षक, घडसाना

–प्रार्थी

बनाम्

श्री अजय पुत्र श्री शीलाराम जाति बाल्मीकि निवासी धक्का बस्ती 24 एएससी, घडसाना

–अप्रार्थी

परिवाद अन्तर्गत आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा–6 ए

–:निर्णयः–

दिनांकः–08.07.2025

यह इस्तगासा **प्रवर्तन निरीक्षक** द्वारा **परिवाद अन्तर्गत आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा–6 ए** अन्तर्गत पेश किया जिसमें संक्षेप में वर्णित तथ्य इस प्रकार है–

यह है कि दिनांक–12.02.2024 को प्रवर्तन निरीक्षक घडसाना, 24 ए.एस.सी. घडसाना में स्थित फर्म/होटल पंजाबी तड़का शनि मंदिर के पीछे शहीद स्मारक पर पहुँचें। जांच के दौरान फर्म पंजाबी तड़का पर श्री अजय पुत्र श्री शीलाराम जाति बाल्मीकि निवासी धक्का बस्ती 24 एएससी घडसाना मौके पर उपस्थित मिले तथा स्चयं को दुकान का मालिक बताया। श्री अजय की उपस्थिति में फर्म पंजाबी तड़का घडसाना की जांच में पाया कि इस प्रतिष्ठाान पर वैज/नॉन वैज आदि बनाने का व्यवसायिक कार्य किया जाता है तथा इस कार्य के लिए पंजाबी तड़का पर घरेलू गैस सिलेण्डरों का उपयोग किया जाना पाया गया। मौके पर पंजाबी तड़का पर 01 घरेलू गैस सिलेण्डर भट्टी/चूल्हे/बर्नर से गैस पाईप लाईन के जरिये जुड़ा पाया गया तथा 01 अन्य घरेलू गैस सिलेण्डर भी रखा पाया गया जो कि चूल्हे सु जुड़ा नहीं था। दोनों घरेलू गैस सिलेण्डर भारत गैस कम्पनी के पाये गये। श्री अजय ने घरेलू गैस सिलेण्डर द्वारा प्रतिष्ठाान पर वैज/नॉन वेज आदि बनाने में व्यवसायिक कार्य में उपयोग किया जाना बताया। श्री अजय द्वारा उक्त 02 घरेलू गैस सिलेण्डर कहां से प्राप्त किये है पूछने पर स्पष्ट जवाब नहीं दिया तथा उक्त सिलेण्डरों के भंडारण संबंधित कोई भी वैध दस्तावेज श्री अजय के पास नही मिला।

फर्म पंजाबी तड़का शनि मंदिर के पीछे शहीद स्मारक घडसाना पर पाये गये 02 एलपीजी गैस सिलेण्डर मय एलपीजी गैस मय दो भट्टी एक गैस पाईप को जरिये फर्द जब्ती किये गये एवं जय सालासर भारत गैस एजेन्सी घडसाना के कार्मिक मुनीर खां पुत्र श्री फराज खां मो नं. –9828971480को सुपुर्द किया। जांच के दौरान फर्द मौका व जब्ती एवं फर्द सुपुदर्गीनामा अलग से तैयार किया गया।

उपर्युक्त जांच से स्पष्ट है कि श्री राजपाल उर्फ राजू द्वारा अवैध तरीके से घरेलू गैस सिलेण्डरों का अवैध तरीके से व्यावसायिक कार्य में उपयोग किया जा रहा था। **श्री अजय पुत्र श्री शीलाराम जाति बाल्मीकि निवासी धक्का बस्ती 24 एएससी, घडसाना** का उक्त कृत्य कर द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (आपूर्ति एवं वितरण विनियमन) आदेश–2000 की धारा 3(1)(ख)(ग),4(1)(क)(ग)(2),6व7(1)(ग)का स्पष्ट उल्लंधन किया है। अतः आवश्यक वस्तु अधिनियम,1955 की धारा 6 ए के तहत प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि मौके से 02 घरेलू गैस सिलेण्डर मय एलपीजी गैस सिलेण्डर दो भट्ठी, एक गैस पाईप(T) को राजसात करना उचित समझते है।

इस्तगासा दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी ने स्वयं उपस्थित होकर न्यायालय में जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी के पास एक सिलेण्डर था जो रसद विभाग द्वारा जब्त कर लिया है। प्रार्थी निहायत गरीब आदमी है। इस व्यवसाय के अलावा अन्य कोई जरिया नहीं है। प्रार्थी के गुड़िया है। वर्तमान में मेरा होटल बंद पड़ा है तथा प्रार्थी ने निवेदन किया कि उसकी मजबूरी को देखते हुए उसको सिलेण्डर दिलवाने का कृपा करें।

प्रकरण में अप्रार्थी को सुना गया, पत्रावली का अवलोकन किया गया। उपरोक्त विवेचनों के आधार अप्रार्थी **श्री अजय पुत्र शीलाराम जाति बाल्मीकि निवासी धक्का बस्ती 24 ए.एस.सी. घड़साना** की दुकान से जब्तशुदा (फर्द मौका जब्तीनुसार) 02 घरेलू गैस सिलेण्डर को राजसात करने एवं जब्तशुदा दो भट्टी एवं एक गैस पाईप अप्रार्थी को 07 दिन में वापिसलौटाये जाने के आदेश दिए जाते है। निर्णय की प्रति जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर एवं प्रवर्तन निरीक्षक, अनूपगढ़ को पालनार्थ/आगामी कार्यवाही हेतु भिजवायी जावें।

निर्णय आज दिनांक 08.07.2025 को मेरे द्वारा टंकित करवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

ADDITIONAL DISTRICT MAGISTRATE ANUPGARH

(अशोक सांगवा)आर.ए.एस.
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
अनूपगढ